न्यायालय उपखण्ड अधिकारी –पदेन भू –अभिलेख अधिकारी,बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेश कुमार आर.ए.एस
राजस्व आवेदन नं0 328 / 2022
जी.सी.एम.एस. न :– 2022 / 807

प्रार्थीगण

1 उमा मुदड़ा पत्नी डा.कमल मुदड़ा, जाति मुदड़ा, निवासी गाँधीपुरा बालोतरा, तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर।

2 किशोर कुमार पुत्र देवाराम जाति माली,निवासी पादरू का वास, सिवाना, जिला बाड़मेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. ओम प्रकाश पुत्र घेवरचन्द
2. परमेश्वरी पत्नी मदनलाल
3. राजु पुत्र मदनलाल
4. हितेश पुत्र मदनलाल
5. खुशबु पुत्री मदनलाल
6. मीरा पुत्री मदनलाल जातियान सोनार, निवासी पनघट रोड मोचीवाडा, बालोतरा पचपदरा, जिला बाड़मेर ।
7. नेहा चौधरी पुत्री अमराराम
8. भावना चौधरी पुत्री अमराराम
9. अल्का पत्नी अमराराम जातियान जाट निवासी वार्ड नम्बर 43 वैष्णव कॉलोनी बालोतरा तह0 पचपदरा जिला बाड़मेर
10. सरपंच ग्राम पंचायत खेड
11. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत खेड
12. सभापति नगर परिषद बालोतरा
13. आयुक्त नगर परिषद बालोतरा
14. तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू.रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थिति :– 1. श्री रतनाराम जाखड अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री सुरेश नारायण खारवाल अधिवक्ता, विप्रार्थी संख्या 01 से 06 अनुपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 7–14 एकपक्षीय ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

'आदेश' दिनांक :– 29.09.2023

01. संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत सरहद मौजा खेड, पटवार क्षेत्र खेड, तहसील पचपदरा की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1284/256 रकबा 1.7806 हैक्टेयर में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

02. प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 07 ता 14 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस सूचना के अनुपथित। विप्रार्थीगण को उपस्थिति का पर्याप्त अवसर दिएजाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नहीं होने पर अदम पैरवी व अदम हाजरी मे उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

03 विप्रार्थी संख्या 01 ता 06 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि विप्रार्थीगण का खेत सेढा सेढ आया हुआ है जिसके पुराने खसरा संख्या 578/256 है एवं वर्तमान मे खसरा संख्या 1305/256 है, जिसके रकबा 1.0522 हेक्टेयर (रकबा 06 बीघा 10 विस्वा) है एवं हमारा कब्जा कास्त पुराना है, हम अपने खातेदारी हक की भूम पर ही काबि[illegible] खेत व प्रार्थीगण के वादग्रस्त खेत के बीच [illegible] भी प्रार्थीगण के सेढा पर माठ पर कणे मे कभी तोड फोड न[illegible]की। हमारे हद मे कच्ची पुरानी माठ चिन्हित है। हम जिस स्थान पर काबिज है वहां हमारा 40 वर्षो से अधिक समय से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है व रोड की तरफ व दे अन्य साईड मे हमारी बाउण्डरी बनी हुई है । अन्त मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:09 IST
Reason: SelfAttested

विशेष निवेदन किया गया कि विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध श्री न्यायालय हाजा मे दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रख है जो अनवान ओम प्रकाश बनाम उमा मृदड़ा है, जिसमे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है व मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है, जिससे भी आवेदन पत्र चलने योग्य नही है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे ।

04 विप्रार्थी संख्या 01 ता 08 के अधिवक्ता की अनुपस्थित बहस के कारण प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गई । वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा खेड, पटवार क्षेत्र खेड, तहसील पचपदरा की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1284 / 256 रकबा 1.7806 हैक्टेयर भूमि मे आई हुई है । जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी मादो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा खेड, पटवार क्षेत्र खेड, तहसील पचपदरा की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1284 / 256 रकबा 1.7806 हैक्टेयर भूमि की नखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:09 IST
Reason: SelfAttested

वकील विप्रार्थी संख्या 01 ता 08 के वकील के अनुपस्थित रहने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब के कथनो को बहस का आधार माना जाकर प्रकरण के निस्तारण हेतु विवेचन किया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

05. न्यायालय द्वारा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा खेड, पटवार क्षेत्र खेड, तहसील पचपदरा की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 1284 / 256 रकबा 1.7806 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, ताकि अपनी खातेदारी भूमि का स्वतंत्रतापूर्वक उपयोग–उपभोग कर सके। प्रकरण मे विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र के तथ्यो का खंडन किये जाने एवं पत्रावली के संलग्न सीमाज्ञान फर्द मे विवाद के तत्व का उल्लेख नहीं होने के कारण सीमा विवाद साबित नहीं होता है, परंतु विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेशिका दिनांक 03.08.2022 अनवान ओमप्रकाश वगैरह बनाम उमा मुंदडा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 से प्रकरण के उभयपक्ष मे सीमा विवाद होना प्रतीत होता है । वकील प्रार्थी अनुसार उक्त प्रकरण संख्या 264 / 22 पेरोकारी के निर्देश नहीं होने (No Instruction plead) के कारण खारिज हो चूका है, ऐसी स्थिति मे न्यायालय द्वारा उदार दृष्टिकोण अपनाया जाकर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है ।

–: आदेश :–

उपरोक्त विवेचन के आलोक [illegible] धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 [illegible] होने व सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर खसरा संख्या 1284 / 256 रकबा 1.7806 हैक्टेयर मौजा खेड, पटवार क्षेत्र खेड, तहसील पचपदरा का धारा 111 मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

विहित प्रकिया की अनुपालना करते हुए नियमानुसार सीमाज्ञान करते हुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमी सीमा की नेखमबंदी करने के आदेश दिए जाते है। वक्त नेखमबंदी उभय पक्षकारन मौके पर उपस्थित रहने तथा आवश्यकता होने पर सबंधित पुलिस थाना पचपदरा से इमदाद प्राप्त की जाए। कमीश्नर फीस 1500/—रूपये प्रार्थीगण अदा करेंगे। तहसीलदार पचपदरा तथा थानधिकारी पचपदरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो । कार्यवाही बाद पालना रिपोर्ट शामिल मिसल हो ।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक *29.09.2023* को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2023.10.25 19:20:09 IST
Reason: SelfAttested